

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/13/31.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/13/14 दिनांक 30-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला कोण्डागांव में विद्यमान 24 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 23 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कोण्डागांव के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/13/15 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी, निर्धारित समयावधि में जिला कोण्डागांव की समितियों के पुनर्गठन हेतु कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/13/14 दिनांक 30-07-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कंडिका क्रमांक-5(छ) के अनुसार “जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” को अंतिम रूप से अभिप्राणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना “जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019” कहलाएगी।

- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोण्डागांव की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03 पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से, किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची - एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4
1	निरंक	निरंक	निरंक

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी की कार्यक्षेत्र ग्रामों का नाम
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिरोला	गिरोला, सातगांव, सितली, चिलपुटी,
			इदागांव
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मुलमुला	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बफना	बफना, फरसगांव, नेवता, बडेभिरावण्ड, छोटेभिरावण्ड, लखनपुरी, डोंगरीगुडा, पलारी
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चिपावण्ड	चिपावण्ड, काकडाबेडा, सिधनपुर, भगदेवा, उमरगांव -ब, कुलझर, मालगांव, भिरागांव-अ, सिदावण्ड, कतावण्ड, निलजी, कुम्हारी, डोंगरसिलटी

3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित किर्बईबालेगा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बम्हनी	हंगवा, तोतर, आमगांव
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दहिकोगा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बनियागांव	बम्हनी, कारसिंग, इसलनार, धनसुली, सम्बलपुर,
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेकनेरा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेबेन्दरी	बनियागांव,, चिचपौलंग, कुसमा, कचोरा, दूधगांव, चिखलपुटी
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मुनगापदर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनाबाल	बडेबेन्दरी, बोलबोला, जरेबेन्दरी, छोटेबंजोडा, करंजी, कोकोडी
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित माकडी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बवई	सोनाबाल, बोटीकनेरा, पोलंग, खण्डाम, मडानार, नगरी, बोरगांव, मयुरडोंगर, कारियाकाटा
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरावती	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छिनारी	गौलावण्ड, तातरी, ढोलमांदरी, बेतबेडा, खचगांव, बालासार, झारा
9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लजोडा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भण्डारसिवनी	बवई, करमरी, कावरा, छोटेसलना, हाडीगांव, बडगांव, बुडरा, टेण्डमुण्डा, उमरगांव
10	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित केशकाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित खालेमुरवेण्ड	छिनारी, नेवरा, सोंहगा, छोटेसोहंगा, बेड़ागांव, छतौडी, किरमारी, बिंजोली
11	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ईरागांव	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तोडासी (बडेखौली)	भण्डारसिवनी, कुल्हाडागांव, सारबेडा, जुगानीकैप, मोहलई, बेलभाठा, चरकई, चांदागांव, चांदाबेलगांव
12	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित विश्रामपुरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिहागांव	खालेमुरवेण्ड, डोडरापाल, मुरनार, कुकडादाह, नयापारा, खुटापारा, दादरगढ, माहुरबेड़ा, सालेमट, हरवेल, चिपरेल
13	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बासकोट	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गम्हरी	तोडासी, गददाड, बडेखौली, बिटालखौली, हिचका, तुमडी, कोठोडी, बिन्डो, पडडे
14	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेराजपुर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोरगांव	लिहागांव, आमगांव, खजरावण्ड, पारोण्ड, मैनपुर
			तितरवण्ड, हल्दा, ढोंढर
			गम्हरी, जोड़ेकेरा, करमरी, बड़बत्तर,
			कोरगांव, सोनपुर, कोगेरा, कोरहोबेड़ा

अनुसूची – तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राधना	लुभा, उलेरा, सण्डसा, सोडसिवनी, तितना, ओडरी, ठेमगांव, खुडी, बागबेड़ा	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लुभा
		उदेंगा	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित काटागांव
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित शामपुर	काटागांव, बालोण्ड, लभा, दण्डवन, गारे, भीरागांव		

		देवहरदुली	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राधना	—
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित फरसगांव	बोरगांव, पश्चिम-बोरगांव, पूर्वी —बोरगांव, शंकरपुर, पैसरा, फुपगांव, भानपुरी, हिरी, सिंगारपुरी, चुरेगांव, पाण्डेआठगांव	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरगांव
		देवगांव, बंजोडा, चनियागांव, बडेओडागांव, छोटेओडागांव, बाडागांव, गावडी, जामगांव, छिन्दलीबेड़ा, फुण्डेर, दावडे, क्रेकोड़ाजुगानार	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवगांव
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेडोगर	तूर्की		
		भंडारवंडी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित फरसगांव	—
		उरन्दाबेड़ा, कोटपाड़ा, मान्दागांव, नेट, मोदेबेड़ा, मोदे, कन्हारगांव, परोदा, कोनगुड, बोकराबेड़ा, कोण्डापखना, तोयापाल, हाटचपई, बारदा, बडगई, आमगांव, कुलनार, कौलगा, खण्डसरा, मडकड़ा, पावड़ा	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उरन्दाबेड़ा
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बहीगांव	मांडोकीखरगांव, कलेपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेराजपुर	—
		अडेंगा, गारावंण्डी, डोहलापारा, बांडापारा, ऐटेकोन्हाडी, ठाकुरपारा, सिवनीपाल, जंरडी, तोषकापाल	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अडेगा
		आदनबेड़ा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिगनपुर	—
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिगनपुर	मस्सुकोकोडा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बहीगांव	—
		अरण्डी, बकानभाटा, तेन्दुभाटा, डुमरपदर, चारभाटा, खेतरपाल, पलोरा, भरीपारा, नवागढ, हरवाकोडो, नयानार	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अरण्डी